No. JPD/CE(C)/XEN/C.I/F-4(211)Pt. IV/D.1297 Dt. 19.05.2008

ORDER

Sub. : Regarding introducing "Voluntary Disclosure Scheme" for domestic consumers of Municipal Town and District Headquarters, indulged in tampering of meter by any means.

The proposals, for introducing a "Voluntary Disclosure Scheme" for the domestic consumers of Municipal Town and District Headquarters, indulged in theft of electiricty by tampering with the meter by any means, were placed before the Board of Directors of Jaipur Discom in its 138th meeting held on 30.4.08. After detaild discussions, it was decided that a scheme similar to that of scheme introduced in Bharatpur circle be also introduced in other circles of Jaipur Discom.

A large number of consumers represented against recent vigilance checking when on checking/testing of meters at site in may cases the meters were found slow more than 10%.

In order to tempt consumers indulged in the activities of pilferage of electricity by adopting foul means like insertion of shunt/other device etc. in meter circuitory but have not been checked, following "Voluntary Disclosure Scheme" is introduced in all (O&M) Circles except Bharatpur Circle :-

I. The consumer, who wishes to avail benefits of the scheme, shall apply in writing to the concerned XEN/AEN (O&M) in the format enclosed at **Annexure - "A"** declaring that this meter has been tampered and is ready to pay the amount to assessed on the basis of Order No. 1394 dated 2.8.06 (JPR5-345) at the rate of normal tariff applicable in place of twice the tariff alongwith the cost of tampered Energy Meter.

II. Such consumers shall be required to furnish an undertaking as per **Annexure-B.**

III. On receiving such request the concerned XEN/AEN/JEN(O&M), Authorised officer will immediately check the site and will prepare VCR/Inspection memo along with seizure memo and replace the meter at site with a correct push fit fox type meter and affix proper seals.

IV. The chargeable units shall be worked out on the basis of procedure prescribed under Order No. 1394 dated 2.8.06 (JPR5-345).

V. The notice shall be served to the consumer with the copy of inspection memo along with the seizure memo, for depositing the amount of unit assessed at single rate of normal tariff applicable for the category along with the cost of tampered meter, within 48 hours, intimating clearly that if amount so assessed is not deposited, his supply will be disconnected and complaint/FIR will be lodged in the special court/concerned APTPS under Section 135 of Electricity Act - 2003 or with the local police under Rule - 12 of Electricity Rules - 2005 with in 24 Hrs. from the time of disconnection.

VI. Wide publicity of the scheme shall be done by concerned SE(O&M) as per draft enclosed at **Annexure - C.**

This "Voluntary Disclosure Scheme" will be applicable for one month from the date of issue of this order.

sd/-
(B.L. Agarwal)
Chief Engineer (Comml.)

****

प्रपत्र 'A'

उपभोक्ता द्वारा किसी भी युक्ति से मीटर में की गई छेड़छाड़ की "स्वैच्छिक उद्घोषणा योजना" हेतु उनके द्वारा दिये जाने वाले प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

अधिशाषी अभियन्ता (पवस,/सहायक अभियन्ता (   )

जयपुर डिस्कॉम,

.... ।

विषय : **मीटर से की गई छेड़छाड़ के बारे में स्वैच्छिक उद्घोषणा।**

संदर्भ : **विद्युत कनेक्शन का वर्तमान खाता संख्या ....**

उपभोक्ता का नाम व पता ....

महोदय,

जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी मीटर से छेड़छाड़ की स्वैच्छिक उद्घोषणा योजना के अन्तर्गत मैं/ हम स्वैच्छिक रूप से उद्घोषणा करना चाहता हूँ/चाहते हैं कि मेरे/ हमारे मीटर को टैम्पर कर विद्युत के सही उपयोग को रिकार्ड करने से रोका गया है। कृपया उक्त योजना के अन्तर्गत मीटर का बदला जावे एवं योजनानुसार निर्धारित विद्युत उपभोग राशि का सिंगल टैरिफ के हिसाब से मय मीटर की कीमत जमा करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय

(   )

आवेदक/उपभोक्ता के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

उपभोक्ता का नाम एवं पता

P.T.O

शपथ - पत्र

मैं/हम .....

..... (नाम व पता)

खाता संख्या .....यह शपथ पूर्वक घोषित करते हैं कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा जारी स्वैच्छिक उद्घोषणा योजना के अन्तर्गत नियमानुसार जो भी वास्तविक उपभोग की राशि का सिंगल टैरिफ की दर से निर्धारण किया जायेगा (मय मीटर की कीमत) उसे हम जरा कराने को तैयार हूँ/हैं।

(आवेदक/उपभोक्ता के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

P.T.O.

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (पवस)

विज्ञप्ति

समय-समय पर निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुछ उपभोक्ताओं द्वारा मीटर से छेड़छाड़ कर मीटर के अन्दर शंट लगाकर/अन्य अवांछित तरीकों से मीटर में विद्युत कर सही उपभोग दर्ज नहीं होने दिया जाता है। उपभोक्ताओं द्वारा यह माँग की गई है कि कुछ अवांछित व्यक्तियों द्वारा उनके मीटर से छेड़खानी की गयी है तथा वह स्वैच्छिक रूप से इस तथ्य की घोषणा करने के लिये तैयार हैं, बशर्ते कि निगम सहानुभूति रखते हुये उनके मीटर को बदलकर वास्तविक उपभोग की राशि ही चार्ज करें।

निगम द्वारा उपभोक्ताओं की उक्त माँग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो उपभोक्ता इस आशय का प्रार्थना पत्र संबंधित अधिशाषी/सहायक अभियन्ता (पवस) कार्यालय में प्रस्तुत करेगा कि उसके मीटर से छेड़छाड़ की गई है तो ऐसे उपभोक्ताओं को विद्युत चोरी में आरोपित नहीं किया जाकर उनके टेम्पर्ड मीटर को उतारकर सही मीटर निगम द्वारा लगवाया जावेगा। ऐसे उपभोक्ताओं पर जुर्माने की राशि एवं कानूनी कार्यवाही के स्थान पर नियमानुसार विद्युत उपभोग के वास्तविक आंकलन के आधार पर राशि एवं मीटर की कीमत वसूल की जावेगी।

मीटर छेड़छाड़ की यह स्वैच्छिक उद्घोषणा योजना आदेश जारी की तिथि से एक माह तक लागू रहेगीं।

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

****